न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एस०सी०/एस०टी०एक्ट),सन्त कबीर नगर।

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–157/2026

मंजू देवी–––बनाम –––राहुल मौर्या आदि

अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस

थाना–कोतवाली खलीलाबाद, जनपद–संत कबीर नगर

दिनांक–17.06.2026

1– पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. पर प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है।

2– प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 173(4) बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत कर संक्षेप में यह कथन किया गया है कि दिनांक 19.05.2026 को दिन मंगलवार, हम प्रार्थिनी अपनी बकाया मजदूरी मांगने गांव के राहुल मौर्या के घर गयी और अपने दो दिन की बकाया मजदूरी मु०–800/– रूपये की मांग किया तो राहुल की मां और बहन आग बबुला हो गयी तथा गंदी गन्दी गाली देते हुए कहे कि दरिद्र चमाइन की जाति सुबह–सुबह दरवाजे पर चली आयी। इसको कोई काम नहीं है जाओ भागों यहाँ से और बेटे को आने दो हम तुमको सबक सिखायेगे और दूसरे दिन दिनांक 20.5.2026 को उक्त राहुल मौया अपनी माता व बहन नन्दनी व मनीषा व दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ दरवाजे पर चढ़ आये और मां–बहन की गन्दी गन्दी गाली व जान से मारने की धमकी देते हुये सभी मुल्जिमान हम प्रार्थिनी को मारने के लिए दौड़े और बाल पकड़ कर खींचने लगे, कहे चलो साली मजदूरी देते हैं। मौके पर मौजूद प्रार्थिनी के पति ने विरोध किया ओर मुल्जिमानो को मार पिटाई करने से रोका तो दो अज्ञात व्यक्तियों ने राहुल के साथ मिल कर हम प्रार्थिनी के पति श्री जोखन प्रसाद को गाड़ी पर बैठा लिया ओर मारते पीटते अपने घर पर लेकर चले गये और कहे कि साले को मार कर हाथ, पैर तोड़ दो हम देख लेंगे, इसकी चमरई भूल जायेगी शोर गुहार पर मौके पर बहुत से लोग इक्टठा हो गये जो घटना को देखे व बीच बचाव कर हम प्रार्थिनी व पति की भी जान बचाये मुल्जिमानो की मार पिटाई से प्रार्थिनी व उसके पति को गम्भीर चोटें आयी हैं। प्रार्थिनी ने घटना की सूचना मुकामी पुलिस को दिया पर कोई कार्यवाही नही हुई प्रार्थिनी परेशान है। कभी भी अप्रिय वारदात हो सकती है। प्रार्थिनी की जान भी जा सकती है। थाने से कोई कार्यवाही ना होने पर प्रार्थिनी घटना की सूचना जरिए दरख्वास्त रजिस्ट्री पुलिस अधीक्षक महोदय, संतकबीरनगर को दी परन्तु वहाँ से भी को कार्यवाही नहीं हुई। तब प्रार्थिनी मजबूर होकर न्यायालय में यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रही है। प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह याचना की गई है कि थानाध्यक्ष कोतवाली खलीलाबाद को आदेशित किया जाय कि वह मुल्जिमानों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही करें।

3– प्रार्थिनी द्वारा अपने कथन के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, पुलिस अधीक्षक को भेजे गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रति व रजिस्ट्री रसीद प्रस्तुत की गई है।

4– उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर कोतवाली खलीलाबाद से आख्या आहूत की गई। थाने की आख्यानुसार थाना हाजा पर उक्त के संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5– मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दो घटनाआं, एक दिनांक 19–05–26 व दूसरा 20–05–26, का उल्लेख किया गया है लेकिन

Digitally signed by CHANDRA MOHAN SRIVASTAVA
Date: 2026.06.17 19:58:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दूसरी घटना कितने बजे हुई, इसका कोई उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थिनी द्वारा स्वयं को और अपने पति को गम्भीर चोटें आने का कथन किया गया है लेकिन कोई चिकित्सीय प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र में मौके पर बहुत से लोगो के आ जाने, घटना देखने व बीच बचाव करने का कथन किया गया है लेकिन घटनास्थल पर उपस्थित किसी भी व्यक्ति के नाम का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थिनी द्वारा मामले को गंभीरता प्रदान करने के लिए घटना को बढ़ा–चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र से विदित होता है कि उसको घटना के समस्त तथ्य एवं गवाहन के नाम ज्ञात हैं। प्रकरण इस प्रकार का नहीं है जिसमे विवचेना से कोई अन्य तथ्य उदघटित होना शेष हो। प्रस्तुत मामले में पुलिस से विवेचना कराये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (क्रिमिनल अपिल संख्या–781/2012 निर्णय दिनांकित 29.03.2015 एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007(59) Scc739) में प्रतिपादित विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) BNSS परिवाद के रूप में दर्ज कर न्यायालय द्वारा जाँच किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

6– प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा– 173(4) BNSS परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते बयान परिवादिनी अंतर्गत धारा–223 BNSS दिनांक–17.07.2026 को पेश हो।

17.06.2026

(चन्द्रमोहन श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)
सन्त कबीर नगर।
जे०ओ०कोड–UP01540